प्रेस विज्ञप्ति

जनपद पुलिस ने नगर क्षेत्र में सट्टे पर कसा शिकंजा, नगर के बड़े–बड़े सट्टेबाज सलाखों के पीछे, सट्टे से अर्जित की गई अवैध सम्पत्ति का पता लगाकर सट्टेबाजों की सम्पत्ति की जायेगी जब्त:–

अवगत कराना हैं कि जनपद के नगर क्षेत्र में सट्टे के अपराध की सूचनाएं लगातार सोशल मीड़िया एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त हो रही थी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा सट्टे के अपराध पर पूर्ण रुप से रोकथाम हेतु समस्त अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में नगर क्षेत्र के सक्रिय सभी कुख्यात सट्टेबाजों को चिन्हित करते हुये जेल भेजा गया। जिन्हे जेल भेजे जाने से नगर क्षेत्र में पूर्ण रुप से सट्टे के अपराध पर अंकुश स्थापित हुआ हैं। जेल भेजे गये सट्टेबाजों के नाम निम्न हैं:–

1–राजू उर्फ रियाज अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।

2–ऋषिपाल पुत्र हरि सिंह निवासी दाबकी जुनारदार थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।

3–मोहसीन पुत्र रफी निवासी कमेला कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर।

4–हिमांशु सूरी पुत्र अश्वनी सूरी निवासी मालीगेट बेहट रोड़ थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

5–रहीस पुत्र सलीम निवासी संजय बिहार कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर।

6–सचिन गुप्ता पुत्र बालकिशन गुप्ता निवासी मूंगागढ थाना मण्डी, सहारनपुर।

7–शकील पुत्र सलीम निवासी संजय बिहार हुसैन बस्ती थाना मण्डी, सहारनपुर।

इसके अतिरिक्त उक्त जेल भेजे गये सट्टेबाजो की सम्पत्ति की छानबीन की जा रही है तथा सट्टे के माध्यम से जो सम्पत्ति अर्जित की गई है, उसमें भी गैगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित् की जायेगी।

<u>प्रेस नोट</u>

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तो को गिरफ्तार किया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन मे चलाये जा रहे वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु अभियान के दौरान श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व मे आज दिनांक 27.07.21 को उ0नि0 श्री मुकेश दिनकर मय हमराही का0 1259 विनीत तोंमर, का0 148 अनुज सिरोही, का0 994 अशोक कुमार व म0का0 1578 प्रीति द्वारा अभियुक्त गण 1.अंकित पुत्र जितेन्द्र रावत 2.शाहबाज उर्फ सलमान पुत्र सरफराज निवासी गण शत्रुघनपुरी कालोनी कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 177/21 धारा 147,452,323,307 भादवि को राणा स्टील से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार किया गया अभियुक्त</u>

(1) अंकित पुत्र जितेन्द्र रावत नि0 शत्रुघनपुरी कालोनी कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर

(2) शाहबाज उर्फ सलमान पुत्र सरफराज नि0 शत्रुघनपुरी कालोनी कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर

<u>आपराधिक इतिहास</u>

(1) मु0अ0सं0 177/21 धारा 147,452,307,323 भादवि थाना गागलहेड़ी स0पुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

(1) उ0नि0 श्री मुकेश दिनकर

(2) का0 1259 विनीत तोमर

(3) का0 148 अनुज सिरोही

(4) का0 994 अशोक कुमार

(5) म0का0 1578 प्रीती

प्रेस विज्ञप्तिः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ए0डी0जे/एफ0टी0सी0 कक्ष संख्या–01, सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः–

अवगत कराना है, कि दिनांक 13.07.2007 को वादिया को अभियुक्त राशिद अंसारी पुत्र मौ0 शफी नि0 ग्राम नदीम कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना तथा अज्ञात स्थान पर वादिया के साथ बलात्कार करने की सूचना पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 230/2007 धारा 363,366,368,376 भादवि पंजीकृत किया गया था, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 15/2019 पर माननीय न्यायालय ए0डी0जे/एफ0टी0सी0 कक्ष सं0–01 स0पुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय ए0डी0जे/एफ0टी0सी कक्ष सं0–01 स0पुर द्वारा आज दिनांक 27–07–2021 को अभियुक्त राशिद अंसारी पुत्र मौ0 शफी को मु0अ0सं0 230/2007 धारा 363,366,368,376 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 27–07–2021

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा हांडी मसाला रेस्टोरेन्ट रेलवे रोड से अभि0 अनम पुत्र निजाम निवासी मौहल्ला गुर्जरवाडा थाना देवबन्द, सहारनपुर को 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कार0 .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 457/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा सटटे की खाईबाडी करते 02 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा घास मण्डी तिराहा से अभि0 1–अलीहसन पुत्र बसीर निवासी ग्राम रांझड थाना गढीपुख्ता, शामली हाल निवासी मौ0 पत्थर का कुआ थाना देवबन्द, सहारनपुर व 2–सचिन पुत्र महावीर निवासी ग्राम उगलवा थाना कोतवाली, शामली को पर्चा सटटा मय 1020/रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 458/2021 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा ग्राम लच्छीपुर से अभि0 बालेश पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम साल्हापुर थाना देवबन्द, सहारनपुर को 24 पव्वे मिस रंगीला देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 459/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा ग्राम बाबूपुर नंगली से अभि0 सोनू पुत्र जगबीर सिंह निवासी ग्राम बाबूपुर नंगली थाना देवबन्द, सहारनपुर को 02 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 461/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना नागल पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना नागल पुलिस द्वारा सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर ग्राम सरसीना तिराहे के पास से अभि0 प्रदीप पुत्र सुग्गन निवासी ग्राम गंधेडी थाना फतेहपुर, सहारनपुर को 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कार0 .12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नागल पर मु0अ0सं0 142/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा ग्राम बानू खेडी यमुना का किनारा थाना गंगोह से अभि0 1–अतर सिंह पुत्र मानसिंह व 2–धर्मसिंह पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम बानूखेडी थाना गंगोह, सहारनपुर को 10 लीटर शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 357/2021 धारा 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नाजायज स्मैक सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा ग्राम बोडपुर मोड थाना गंगोह से अभि0 निसार पुत्र मेहदा निवासी ग्राम बोडपुर थाना गंगोह, सहारनपुर को 20 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 358/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा नाजायज स्मैक सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा नहर पुलिया सीएचसी बेहट से अभि0 मशरूर उर्फ सचिन पुत्र नूरहसन निवासी इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट, सहारनपुर को 06 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 369/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना रामपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा काला हेडी को जाने वाला मार्ग से अभि0 अल्मस पुत्र मुर्तजा निवासी कालाहेडी थाना रामपुर, सहारनपुर को मु0अ0सं0 232/21 में हुई फायरिंग का 01 तमंचा मय 01 खोखा कार0 .12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर पर मु0अ0सं0 240/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना को0नगर पुलिस द्वारा राकेश सिनेमा की ओर जाने वाले रास्ते पर से अभि0 1–शादाब पुत्र इलियास व 2–अब्दुल कादिर पुत्र इरफान निवासी मौहल्ला मुल्तानियान थाना कैराना, शामली को 01–01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर पर मु0अ0सं0 160,161/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डी पुलिस द्वारा नाजायज चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा बंजारो का पुल से अभि0 रवि उर्फ सुखपाल पुत्र रामसिंह निवासी सरकथल थाना सरसावा, सहारनपुर को 150 ग्राम स्मैक नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 384/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डी पुलिस द्वारा नाजायज गांजा सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 26–07–2021 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा हुसैन बस्ती से अभि0 शकीर पुत्र सलीम निवासी संजय विहार हुसैन बस्ती थाना मण्डी, सहारनपुर को 550 ग्राम गांजा नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 385/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीड़िया सेल
जनपद सहारनपुर।